(९०)

पत्र संख्या १२५४ ग्रा०वि०
बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज निदेशालय)

प्रेषक,

श्री नित्यानन्द सिंह
निदेशक, पंचायती राज- सह- संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
पो० हिनू, राँची/ विक्रोमान भवन, पटना

* अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

* द्वारा वित्त विभाग

पटना, दिनांक ५ मार्च, ८०

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के गैर सरकारी सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिये जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों का सृजन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने गिरिडीह, धनबाद, मुंगेर, गया तथा सारण में जिला स्तर पर जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति दी है। इन प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये निम्नलिखित पद इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से सृजित किये जाते हैं और वे सरकार के आदेश तक बने रहेंगे।

पद का नाम	पदों की सं०	वेतनमान
१) प्राचार्य -	५	५१०-११५५
२) व्याख्याता (प्रवरकोटि के पंचायत पर्यवेक्षक)	१०	३२५-५५५
३) निम्नवर्गीय लिपिक	५	२३०-३१५
४) चपरासी- सह- आदेशपाल	५	१५५-१९०

२) चालू वित्तीय वर्ष १९७९-८० में उपर्युक्त प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय के लिये सरकार ने ५ लाख (पाँच लाख) रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है। इससे संबंधित व्यय विवरण संलग्न है।

३) इस मद के व्यय के लिये संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये नियंत्रण पदाधिकारी घोषित किया जाता है। प्रमंडलीय उप- निदेशक, पंचायती राज को संस्थान के प्राचार्य का नियंत्रण पदाधिकारी घोषित किया जाता है। बिहार कोषागार संहिता खण्ड २ के परिशिष्ट ७ एवं १०० के अनुसार विवरणी १ तथा संलग्न है।

४) व्यय का वहन " ३१४-सामुदायिक विकास-क-सामान्य निदेशन और प्रशासन-अन्य क्षेत्रीय उप योजना - कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय - पंचायतीराज संस्थाओं के गैर सरकारी सदस्यों का प्रशिक्षण " लेखा शीर्षक वर्ष १९७९-८० के योजना आय-व्ययक में उपबंधित राशि से किया जायगा ।

५) निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना द्वारा उपर्युक्त संस्थानों को आवश्यकतानुसार निधि आवंटित की जायगी ।

विश्वासभाजन

ह०/- नित्यानन्द सिंह

निदेशक, पंचायतीराज-सह-संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या १२५४ ग्रा० पं० पटना, दिनांक ५ मार्च, ८०

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रतिलिपि के साथ वित्त विभाग (बजट शाखा) को शाखा को सूचना एंव आवश्यक काररवाई हेतु अग्रसारित ।

निदेशक, पंचायती राज-सह-संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या १२५४ ग्रा० पं० पटना, दिनांक ५ मार्च, ८०

प्रतिलिपि अनुलग्नक की प्रतिलिपि के साथ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक, पंचायती राज/ सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी/ सभी सचिव, जिला परिषदें/ सभी प्राचार्य, प्रशिक्षण संस्थान/ मुख्यालय के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ बजट सहायक/ स्थापना सहायक (श्री बंशीधर झा तथा श्री कृष्णा दास) को सूचनार्थ अग्रसारित ।

निदेशक, पंचायतीराज-सह-संयुक्त सचिव

नागेश्वर
५/३/८०